कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/सी–1/स्थानांतरण/संस्कृत/2019–20 दिनांक– 29.09.2019 के तहत् कैलाश चंद्र सेन, व्याख्याता, संस्कृत, राउमावि समरपुरा, जयपुर का स्थानांतरण राउमावि गुढ़ा, बूंदी किया गया। कैलाश चंद्र सेन द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 3090/2019 कैलाश चंद्र सेन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3090/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 25.10.2019 द्वारा अपीलार्थी कैलाश चंद्र सेन को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश करने एवं पेश किये जाने की स्थिति में इसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आदेश प्रसारित कर निस्तारण किये जाने के निर्देश प्रदान किये है।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम मे अपीलार्थी द्वारा अपनी प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि किशनगढ़ रेनवाल, जयपुर, राउमावि रेनवाल मांझी, जयपुर, राउमावि जाडला, जयपुर किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागंना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया हैं। याचिकार्थीया द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। कैलाश चंद्र सेन द्वारा स्थानान्तरित स्थान पर दिनांक 04.12.2019 को कार्यग्रहण कर लिया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा अन्यत्र समायोजन की मांग तर्क संगत नहीं है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।

(हिमांशु गुप्ता)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–1/संस्कृत/अपील सं. 3090/कैलाशचंद्र सेन/2019 **दिनांकः–** 20.12.2019

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा,
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा को उनकी अ.टि. क्रमांक शिविरा–मा/विधि/बी–3/29905/जी/19 दिनांक 20.12.2019 के क्रम में।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य
9. सरोज वर्मा, व्याख्याता, संस्कृत।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

C-1 Court Case 15